वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

mail : connectpuregistrar@gmail.com फोन नं0 05452 252244
ww.vbspu.ac.in

पत्रांक– 1549 /पू0वि0वि/सम्ब0/2018 दिनांक– 15.10.18

सेवामें, अनुस्मारक पत्र–1

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध महाविद्यालय, जनपद–जौनपुर,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषय– **Anti-Ragging Law** के विषय पर सेमिनार आयोजित करने तथा राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम–2013 के अन्तर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों में लीगल एड क्लीनिक की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्रांक–8888/सम्ब0/2018, दिनांक–14.06.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से आपसे अनुरोध किया गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मंशा के अनुसार उपरोक्त विषय पर सेमिनार/गोष्ठी आयोजित करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करनके के साथ आवश्यक दिशा–निर्देश भी प्राप्त करें। ताकि कार्यक्रम आयोजित करके समस्त महाविद्यालयों में रैगिंग जैसी गम्भीर समस्या का निवारण किया जा सके। परन्तु उक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय स्तर पर की गयी कार्यवाही से अभी विश्वविद्यालय को अवगत नहीं कराया गया है।

सचिव, (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर के पत्रांक–118/2018/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर के पत्र दिनांक–04.06.2018 के अनुक्रम में अवगत कराना है कि राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम–2013 के नियम–3 के अनुसार विश्वविद्यालयों, विधि कालेजों एवं अन्य संस्थानों में "लीगल एड क्लीनिक" स्थापना की जानी है, ताकि कालेज के छात्र/छात्राओं के माध्यम से कालेज व जनपद में कानून की जानकारी का प्रचार–प्रसार किया जा सके। इसके साथ यह भी सूच्य हो कि माह जून में दाखिला प्रक्रिया के समय नव–आगन्तुक छात्र–छात्राओं के साथ वरिष्ठ छात्र–छात्राओं के द्वारा को रैगिंग जैसे अपराध को रोके जाने हेतु (**Anti-Ragging Law**) के विषय में जानकारी मुहैया कराने के लिए सेमीनार–गोष्ठी आयोजित करने सम्बन्धी दिशा–निर्देश दिया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि रैगिंग जैसे अपराध को रोके जाने हेतु महाविद्यालय में एन्टी रैगिंग कमेटी का गठन अनिवार्य रूप से किया जाय। आपसे यह भी अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की मन्शा के अनुसार उपरोक्त विषय पर सेमिनार/गोष्ठी आयोजित करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करने के साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी प्राप्त करें। ताकि कार्यक्रम आयोजित करके समस्त महाविद्यालयों में रैगिंग जैसी गंभीर समस्या का निवारण किया जा सके।

भवदीय,

13/10/18

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1.सचिव, (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। महाविद्यालयों की सूची संलग्न है।
2.वेब मास्टर, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की बेबसाइट पर अपलोड करें।

कुलसचिव